न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :— अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 200 / 2022

1. छिन्द्रपालकौर पत्नी अवतारसिंह, जाति लौहार, साकिन वार्ड न. 19 दुलमानी, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़। (कलमजन)

2. सावित्री देवी पत्नी दलीपचन्द, जाति जाट, साकिनं वार्ड न. 13 मण्डी पीलीबंगा, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़।

3. नत्थुराम पुत्र सन्तराम, जाति लुहार, साकिन वार्ड न.12 मण्डी पीलीबंगा, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़।

4. प्रेम कुमार पुत्र सन्तराम, जाति लुहार, साकिन वार्ड न.12 मण्डी पीलीबंगा, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़।

प्रार्थीगण

बनाम

1. आत्मारामं पुत्र बृजालाल, जाति मेघवाल, साकिन चक 12 पीबीएन, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़।

2. जगदीश पुत्र बृजलाल, जाति मेघवाल, साकिन चक 12 पीबीएन, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़।

3. भानीराम पुत्र बृजलाल, जाति मेघवाल, साकिन चक 12 पीबीएन, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़।

4. सुमन देवी पुत्री बृजलाल, जाति मेघवाल, साकिन चक्र 12 पीबीएन; तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़। (कलमजन)

5. तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा ।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251—क राजस्व काश्तकारी अधिनियम

—:: उपस्थित अभिभाषकगण ::—

1. श्री जगजीत सिंह रमाणा	प्रार्थीया
2. श्री चैन सिंह शेखावत	अप्रार्थी संख्या 1 व 3
3. श्री राजेन्द्र पटीर	अप्रार्थी संख्या 2
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा	अप्रार्थी संख्या 4

—:: निर्णय ::—

Signature Not Verified

दिनांक :—12-05-2025

.....

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.06.02 15:49:32 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से अन्तर्गत धारा 251—क राजस्व काश्तकारी **अधिनियम** अप्रार्थीगण के विरूद्ध अधिवक्ता श्री जगजीत सिंह रमाणा के द्वारा प्रस्तुत किया गया है प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि यह कि मिन प्रार्थीया के नाम चक 12 पी बी एन के खाता सं. 17 / 31 प.नं 30 / 301 के किला नं. 2 / 1 / 0.228, 2 / 2 / 0.025, 9, 11 / 1 / 0.126, 20, 21 की कुल 1.138 हैक. गैर मु. खाला दर्ज रिकार्ड है प्रार्थीया की खरीदशदा कृषि भूमि है।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

यह कि अप्रार्थी सं. 1 ता 4 के नाम सयुक्त खाता मे चक 12 पी बी एन के. खाता स. 6166 पं.नं. 30/301 किला नं. 3/1/0.228, 3/2/0.025, 4/1/0.228, 4/2/0.025, 5/1/0.203, 5/2/0.025, 5/3/0.025, 6/1/0.228, 6/2/0.025, 7, 8, 13, 14 15/1/0.228, 15/2/0. 025, 16/1/0.228, 16/2/0.025, 17, 18, 22, 23, 24, 25/1/0.228, 25/2/0.025 4.048 हैक. गैर मु. खाला रास्ता दर्ज रिकार्ड है।

यह कि मिन प्रार्थीया की कृषि भूमि मे आने जाने के लिए कोई स्वीकृत शदा रास्ता नही है इस कारण मिन प्रार्थीया को अपनी कृषि भूमि मे आने जाने हेतू बेहद असुविधा पैदा होती है व कृषि भूमि मे आना जाना मुश्किल हो जाता है कृषि के औजार ले कर जाना मुश्किल हो जाता है। कृषि कार्य करने मे मुश्किलो का सामना करना पडता है। मिन प्रार्थीया के पं.नं. 30/301 मे मिन पार्थीया के अलावा अन्य खाते की अप्रार्थी सं. 1 ता 4 की सांझा खाता की कृषि भूमि प्रार्थना पत्र की दफा 2 दर्ज है जिसके किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 मे रास्ता स्वीकृत है जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज है मिन प्रार्थीया के किला नं. 2 व 9 मे आने जाने हेतु अप्रार्थी सं. 1 ता 4 के किला नं. 3, 4, 5 मे दर्ज गैर मु. खाला के चिपते दक्षिण दिशा मे 0.013 व 0.013 प्रत्येक बीघे मे यानि की किला नं. 3/0.013, 4/0.013, 5/0.013 रास्ता स्वीकृत करवाने की अधिकारी हूं इस चाहे गए रास्ते के आलावा मिन प्रार्थीया को सुविधाजनक व नजदीक ओर कोई रास्ता नही है। मिन प्रार्थीया राजस्व रिकार्ड मे दर्ज किला नं 5, 6, 15, 16, 25 मे दर्ज रिकार्ड आम रास्ता से आते हुए अपने किला नं. 2 व 9 मे पहुंचने के लिए अप्रार्थी सं. 1 ता 4 के चक 12 पी बी एन प.नं. 30/301 के किला नं. 3/0.013, 4/0.013, 5/0.013 मे खाला के चिपते खाला के दक्षिण दिशा मे रास्ता स्वीकृत करवाने के अधिकारी है इन किला नं 3, 4, 5 मे उतरी दिशा मे खाला गैर मु. दर्ज हे इन किलो के उतरी दिशा मे ही खाले के चिपते ही खाले के दक्षिण दिशा मे रास्ता चक 12 पी बी एन प.नं 30/301 के किला नं. 3/0.013, 4/0.013, 5/0.013 स्वीकृत करवाने व राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है।

यह कि अप्रार्थी सं. 4 को भू धारक होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। मिन प्रार्थीया कानूनी रूप से अपार्थीगण को रास्ते मे आई भूमि के बदले डी एल सी (सरकारी रेट) के. अनुसार राशि देने को तैयार है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी सं. 1 ता 4 के चक 12 पी बी एन प.नं 30/301 के किला नं. 3/0.013, 4/0.013, 5/0.013 मे खाला के चिपते खाला के दक्षिण दिशा मे रास्ता स्वीकृत करवाने की अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तत होने पर बाद रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 3 की ओर से श्री चैन सिंह अधिवक्ता द्वारा एवं अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से श्री राजन्द्र सिंह पटीर द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 व प्रार्थीया की ओर से राजीनामा प्रस्तुत किया गया है जिसके तथ्य इस प्रकार से है कि –

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.06.02 15:49:32 IST
Reason: SelfAttested

यह कि अप्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि [illegible] पीबीएन के खाता 6/66 30/301 के प. न30/301 [illegible] 16, 25 मे चालू रास्ता से लगते हुए अपनी कृषि भूमि किला न.25,24,23,22 के दक्षिणी दिशा में 0.015 हैक. प्रत्येक किला में रास्ते हेतू प्रार्थीगण को भूमि दी गई है। जिसका अंकन [illegible]स्व रिकार्ड में गैरमुमकिन रास्ता के रूप में दर्ज किया जावेगा।

यह कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण को दी गई रास्ते की कृषि भूमि के एवज में प्रार्थी स. 3 नत्थुराम व प्रार्थी स. 4 प्रेमकुमार के नाम दर्ज अपनी कृषि भूमि चक 12 पीबीएन के खाता

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

स. 131/10 के प.न.30/301 (48) किला न. 19 में 0.045 हैक. दक्षिणी दिशा में किला न.22 के चिपती हुई कृषि भूमि अप्रार्थीगण को देगे। अतः राजीनामा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि मुताबिक राजीनामा प्रार्थना पत्र का निस्तारण किये जाने के आदेश फरमाया जावे।

अप्रार्थी संख्या 4 का नाम बाद प्रार्थना आदेश 1 नियम 10 सीपीसी निर्णय नाम कलमजन किया जा चुका है। प्रकरण में तहसीलदार पीलीबंगा से रिपोर्ट पत्रांक 1255 दिनांक 14.05.24 से प्राप्त की गई है मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार अनुसार प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता मौके पर चालू नहीं है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के समस्त काश्तकार को पक्षकार बनाया गया है जो कि प्रतिवादी संख्या 1 से 4 है। प्रतिवादी संख्या 4 सुमनदेवी अपना हिस्सा हक त्याग प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में कर चुकी है। प्रार्थीया द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नहीं है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये से कम दूरी का कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर चालू नहीं है।

आदेश

बहस उभय पक्ष सुनी गई। बहस पर मनन व बाद पत्रावली अवलोकन तहसीलदार पीलीबंगा रिपोर्ट एवं उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251-क के तहत प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश पारित किया जाता है कि- चक 12 पी बी एन प.नं 30/301 मु.न 48 के किला नं. 22, 23, 24, 25 प्रत्येक में 0.015 है. बजानिक दक्षिण दिशा में रास्ता स्वीकृत किया जाता है जिसके प्रतिकर के रूप में भूमि के बदले इतनी कीमत की भूमि राजीनामा अनुसार प्रार्थी स. 3 नत्थुराम व प्रार्थी स. 4 प्रेमकुमार के नाम दर्ज अपनी कृषि भूमि चक 12 पीबीएन के खाता स. 131/10 के प.न.30/301 (48) किला न. 19 में 0.045 हैक. दक्षिणी दिशा में किला न.22 के चिपती हुई कृषि भूमि अप्रार्थीगण के नाम दर्ज की जावे। आदेशों की पालना में तहसीलदार पीलीबंगा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करे।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो। आदेश को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में दिनांक 12/5/25 सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा (हनुमानगढ़) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.06.02 15:49:32 IST
Reason: SelfAttested

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा